

मध्यप्रदेश शासन
संस्कृति विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 05/06/2023

क्रमांक एफ 04-43/2014/तीस: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद के आयटम क्रमांक 11 दिनांक 30 मई 2023 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 25.05.2023 की कंडिका-3 में उल्लेखित अनुसार वर्तमान में प्रचलित मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियमों को संशोधित करते हुए नवीन "मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम 2023" (परिशिष्ट - एक) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुनील दुबे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

भोपाल, दिनांक 05/06/2023

पृष्ठा. क्र. एफ एफ 04-43/2014/तीस
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
6. संचालक, संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी संस्कृति, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्राणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
10. आर्डर बुक।

क-12
96

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

शिवक क्रमांक 2001

दिनांक 8/6/2023

संस्कृति संचालनालय भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक : 05 / 06 / 2023

क्र. एफ-4-43 / 2014 / 30 राज्य शासन एतद द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 07 नवम्बर 1986 भाग 4 (ग) में प्रकाशित विभाग की अधिसूचना क्र. 4028-तीन-संवि-86, दिनांक 24 सितम्बर 1986 को अधिक्रमित करते हुए, मध्यप्रदेश के कलाकारों/साहित्यकारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये 'मध्यप्रदेश कलाकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष' योजना हेतु नियम बनाता है, अर्थात् :-

नियम

1. योजना का नाम :- ये नियम "मध्यप्रदेश कलाकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष नियम, 2023" कहलायेंगे एवं अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषायें :-

(i) कल्याण कोष :- कलाकारों/साहित्यकारों की मृत्यु हो जाने, उनको एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को लम्बी तथा गंभीर बीमारी के उपचार, दुर्घटना अथवा देवीय विपत्ति की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये स्थापित कोष।

(ii) सहायता :- योजना के अतर्गत सहायता से आशय कलाकारों/साहित्यकारों एवं परिवार के आश्रित सदस्यों को लम्बी तथा गंभीर बीमारी के चिकित्सीय उपचार, कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को एकमुश्त अनुग्रह राशि तथा कलाकार/साहित्यकार की दिव्यांगता के उपचार हेतु आर्थिक सहायता।

(iii) परिवार/आश्रित :- कलाकार/साहित्यकार के परिवार के सदस्य की लम्बी अथवा गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में इस नियम के लिये परिवार में साहित्यकार/कलाकार की पूर्णतः आश्रित पत्नि/पति, पूर्णतः आश्रित माता-पिता, आश्रित नाबालिग भाई-बहन, आश्रित नाबालिग संतान, आश्रित विधवा पुत्री तथा आश्रित दिव्यांग भाई-बहन शामिल होंगे।

निरंतर.....2

N

(iv) उद्देश्य :- मध्यप्रदेश के निवासी ऐसे कलाकार/साहित्यकार जिनका सृजन क्षेत्र मुख्यतः मध्यप्रदेश रहा हो एवं उनका साहित्य, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हो, को इस कोष से निम्न उद्देशार्थ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है :-

- क. कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता।
- ख. कलाकार/साहित्यकार एवं आश्रितों को लम्बी तथा गंभीर बीमारी के चिकित्सा उपचार के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो और वह इलाज के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हो।
- ग. कलाकार/साहित्यकार की दुर्घटना अथवा देवीय विपत्ति की स्थिति में।
- घ. जब किसी कलाकार/साहित्यकार को शारीरिक दिव्यांगता के उपचार हेतु वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो।

3. कल्याण कोष की वित्त व्यवस्था एवं संचालन :-

3.1 इस कोष का निर्माण प्रारम्भ में शासन से प्राप्त अंशदान से होगा तथा इसमें निम्नलिखित स्रोतों से समय-समय पर प्राप्त धनराशियां जमा की जा सकेंगी:-

(क) शासन से प्राप्त अनुदान।

(ख) कलाकारों, साहित्यकारों तथा संस्थाओं द्वारा दान।

(ग) संस्कृति विभाग से प्राप्त होने वाला अंशदान (इस हेतु प्राप्त राशि का शेष समस्त अंश कोष में जमा किया जायेगा।)

3.2 कोष की राशि पी.डी. खाते में जमा रखी जायेगी।

3.3 कोष से राशि का आहरण एवं वितरण संचालक, संस्कृति संचालनालय या उनके द्वारा नामजद किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. पात्रता :-

4.1 ऐसे जरूरतमंद साहित्यकार एवं कलाकार जिसकी समस्त स्रोतों से मासिक आय (पति/पत्नी की आय सहित) रु. 10,000/- प्रतिमाह तथा परिवार (आश्रितों सहित) की कुल आय रु. 20,000/- प्रतिमाह से अधिक न हो। उल्लेखित अधिकतम मासिक आय में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर पात्रता हेतु गणना में ली जावेगी।

//3//

- 4.2 जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो (विधिमान्य प्रमाण पत्र की प्रति अथवा तदाशय शपथ-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।)
- 4.3 संचालनालय द्वारा आर्थिक सहायता ऐसी गंभीर बीमारी, जिनको शासन द्वारा समय-समय पर प्रचलित चिकित्सा परिचर्या नियम अनुसार अथवा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखा है, की चिकित्सा कर रहे चिकित्सक द्वारा बीमारी के नाम के स्पष्ट उल्लेख के साथ गंभीर श्रेणी के होने तथा उसकी दीर्घावधि चिकित्सा आवश्यकता संबंधी प्रमाणीकरण के आधार पर तथा दिव्यांगता के संबंध में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम समिति की अनुशंसा अनुसार स्वीकृत की जावेगी।
- 4.4 कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित सदस्यों को वित्तीय सहायता का तरीका निम्नानुसार होगा :-
- (क) पति अथवा पत्नी - कलाकार की मृत्यु के पश्चात आवश्यकता की स्थिति में सर्वप्रथम वित्तीय सहायता कलाकार के पति अथवा पत्नी को प्रदान की जाएगी।
- (ख) आश्रितों के लिए - विवाह होने अथवा रोजगार प्राप्त करने अथवा 21 वर्ष की आयु होने तक (जो भी पहले हो)।
- 4.5 इस योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांग साहित्यकार/कलाकार लाभार्थी हो सकेंगे, जिनकी आयु 21 वर्ष या अधिक हो एवं जो सहयोग चाहते हों।
5. नियम :-
- 5.1 योजना के अंतर्गत सहायता निम्नलिखित स्थितियों में ही स्वीकृत योग्य होगी :-
- (क) साहित्यकारों/कलाकारों की दिव्यांगता तथा लम्बी एवं गंभीर बीमारी के उपचार दुर्घटना अथवा दैवीय विपत्ति की स्थिति में सहायता राशि प्रदान की जा सकेगी।
- (ख) साहित्यकार/कलाकार के परिवार के सदस्यों/आश्रितों की लम्बी अथवा गंभीर बीमारी की स्थिति में या विशेष परिस्थितियों में, जिनके संबंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा।
- (ग) दिव्यांग कलाकार/साहित्यकार को कला साधना के उन्नयन के उद्देश्यार्थ शारीरिक दिव्यांगता के उपचार हेतु।

m

निरंतर.....4

- 5.2 शासकीय कर्मचारी या स्वायत्तशासी/अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत सहायता के पात्रता नहीं होगी।
- 5.3 एक बार सहायता प्राप्त करने के बाद यदि कोई साहित्यकार/कलाकार विशेष परिस्थितियों में पुनः अतिरिक्त सहायता चाहता है, तो पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए संबंधित अभिलेखों के साथ आवेदन करना होगा।
- 5.4 योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों को समिति की बैठक के उपरांत केवल तीन माह तक तथा सहायता स्वीकृत किये जाने वाले समस्त प्रकरणों के अभिलेखों को आगामी प्रथम अंकेक्षण तक संरक्षित किया जायेगा तथा उसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा।

6. सहायता राशि की सीमा :-

- 6.1 योजना के नियम अंतर्गत गठित समिति की सिफारिश पर स्वीकृत की जाने वाली एकमुश्त सहायता राशि न्यूनतम रुपये 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र) से अधिकतम रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) तक होगी।
- 6.2 प्रदान की गई वित्तीय सहायता गैर-आवर्ती प्रवृत्ति की होगी तथा किसी भी अवसर पर वित्तीय सहायता की राशि निम्नलिखित सीमा तक सीमित होगी:-
- (क) कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु की स्थिति में उनके वैध उत्तराधिकारी को एकमुश्त अधिकतम एक लाख रुपये तक।
 - (ख) गंभीर एवं लम्बी बीमारी के चिकित्सा उपचार, दुर्घटना अथवा दैवीय विपत्ति की स्थिति में अधिकतम 50 हजार रुपये तक।
 - (ग) शारीरिक रूप से दिव्यांग कलाकार/साहित्यकार को दिव्यांगता के उपचार हेतु वित्तीय सहायता की आवश्यकता होने पर अधिकतम रु. एक लाख तक।

- 6.3 तात्कालिक परिस्थितियों तथा आकस्मिकता की स्थिति में संस्कृति मंत्री को, समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में, उक्त सहायता स्वीकृत करने का अधिकार होगा। ऐसे प्रकरणों पर सक्षम समिति की आगामी बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

7. सहायता प्राप्त करने का तरीका :-

- 7.1 सहायता प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 'एक') में संचालक, संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश को आवेदन प्रस्तुत करना होगा
- 7.2 यदि कोई साहित्यकार/कलाकार या उसके परिवार का सदस्य स्वयं आवेदन नहीं करता और उसके संबंध में किसी कला या साहित्यक संस्था अथवा साहित्यकार/कलाकार के माध्यम से सिफारिश, संस्कृति संचालनालय या शासन को प्राप्त होती है। तो शासन/संचालनालय आवश्यक जांच के बाद प्रकरण पर निर्णय ले सकेगा अथवा संचालनालय स्वयं भी ऐसे प्रकरणों को संज्ञान में ले सकेगा।
- 7.3 सहायता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज (आय प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण पत्र/चिकित्सा प्रमाण पत्र/दिव्यांगता प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/परिवार के सदस्यों की जानकारी आश्रितों सहित/आवेदक के बैंक खाते की जानकारी IFSC कोड सहित) विधिवत् संलग्न किये जावेंगे। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 7.4 मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष योजना संबंधी आवेदन पत्र/नियम/शर्तों की जानकारी विभागीय वेबसाइट www.culturemp.in पर उपलब्ध रहेगी।

8. आवेदन का परीक्षण एवं अनुशंसा :-

- 8.1 आवेदक की पात्रता तथा सहायता के उद्देश्य आदि के परीक्षण हेतु राज्य शासन द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा। समिति प्राप्त आवेदनों तथा प्रस्तुत प्रकरणों का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी :-



निरंतर.....6

1. संचालक, संस्कृति संचालनालय, म.प्र. — अध्यक्ष
2. उप सचिव/अवर सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा नामांकित) — सदस्य
3. उप सचिव/अवर सचिव, म.प्र. शासन संस्कृति विभाग — सदस्य
4. साहित्य क्षेत्र का एक प्रतिनिधि (शासन द्वारा मनोनीत) — सदस्य
5. कला क्षेत्र का एक प्रतिनिधि (शासन द्वारा मनोनीत) — सदस्य
6. संगीत क्षेत्र का एक प्रतिनिधि (शासन द्वारा मनोनीत) — सदस्य
7. योजना शाखा प्रभारी अधिकारी, ~~संचालक~~ संस्कृति संचालनालय — सदस्य सचिव

8.2 समिति का निर्णय :- सहायता स्वीकृत करने के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

9. व्याख्या :- इन नियमों की व्याख्या के संबंध में म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सुनील दुबे)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति संचालनालय
मध्यप्रदेश कलाकार/साहित्यकार कल्याण कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए
आवेदन-पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का पूरा नाम
2. विधा/सृजन क्षेत्र
3. आवेदक के पिता/पति का नाम
4. आवेदक का पता, पिन कोड सहित
 (निवास का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. जन्म तारीख (आयु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. आवेदक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय
7. आवेदक पर पूर्णतया आश्रित, परिवार सदस्यों की संख्या एवं आय

नाम	आयु	सम्बन्ध	व्यवसाय	मासिक आय और आय के स्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

8. शासकीय/स्वायत्तशासी/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत है रहे हो तो विवरण सहित जानकारी
9. मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र (संलग्न करें)
10. आधार कार्ड की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें ।
11. साहित्य/कला के क्षेत्र में किया गया उल्लेखनीय कार्य (प्रमाणिक जानकारी दस्तावेज की प्रतियों संलग्न करें)
12. प्रयोजन जिसके लिये सहायता अपेक्षित है (बिमारी के मामले में चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करें)
13. विकलांगता निशक्ता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
14. यदि अन्य किसी स्रोत से सहायता मिली हो तो उसकी जानकारी
15. लेखक या कलाकार द्वारा साहित्य अथवा परम्परागत कला के क्षेत्रों में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण
16. लेखक या कलाकार को शासन या किसी प्रमुख साहित्यिक अथवा किसी संस्था से प्राप्त किसी मान्यता या सम्मान के ब्यौरे
17. अन्य संगत जानकारी, यदि कोई हो
18. बैंक का विवरण संलग्न करें (परिशिष्ट अनुसार)

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम तथा पता)

- टीप : 1. प्रत्येक कालम में जानकारी स्पष्ट तथा पूर्ण दी जानी चाहिये लेखकों के आवेदन पत्रों के साथ उनकी कृतियों की प्रतियाँ, यदि उपलब्ध हो, अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिये।
2. आवेदन पत्र के कालम में 1 से 7 की जानकारी शपथ पत्र में प्रस्तुत की जाये।
3. आवेदन पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं निवास का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
4. प्रमाण पत्र संलग्न ना होने की स्थिति में विकलांग/निशक्त नहीं माना जाएगा।

परिशिष्ट

कोषालय द्वारा e-payment हेतु मांगी गई जानकारी का विवरण

1	खातेदार का नाम या खाते का नाम जिस नाम से खाते का परिचालन होता है। Name of Account Holder in Capital Letter's	
2	खातेदार का पता Address in Capital Letter's	
3	बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड (यह नम्बर सामान्यतः चेक बुक पर अंकित होता है, अन्यथा अपने बैंक से प्राप्त करें) Bank IFSC Code	
4	बैंक खाता जिस बैंक में है, उस बैंक शाखा का पूरा नाम एवं पता Bank Branch Name & Address	
5	बैंक खाता क्रमांक Bank Account No.	
6	खातेदार का मोबाईल नंबर Mobile Number of Account Holder	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त जानकारी/विवरण सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम पता

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त खाते के संबंध में सरल क्रमांक 1 से 6 तक दी गई जानकारी सत्य है।

शाखा प्रबंधक /
अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम
(मुहर सहित)